E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

के.मा.शि.बो./शै. (नव वर्ष) 2014 **दिनांक : 1 जनवरी 2014**

परिपत्र संख्या-अका. 01/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता प्राप्त
सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय: नव वर्ष की शुभकामनाएँ और स्वागत!

प्रिय प्रधानाचार्य,

नववर्ष के सुखमय अवसर पर हम आप सभी का बोर्ड के साथ निरंतर सहयोग, समझ, समर्थन तथा सहकारिता बनाए रखने के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पिछले वर्षों में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के फलदायक परिणाम मिले हैं। सी सी ई योजना के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने वाला बारहवीं कक्षा का प्रथम समूह बोर्ड की परीक्षाओं में प्रदर्शन कर चुका है और उनका प्रदर्शन गत वर्षों के समूहों की तुलना में श्रेष्ठतर रहा है।

हम भविष्य के प्रति उत्साहित हैं तथा बोर्ड में और सुधारों के प्रयास करने तथा इसे दृढ़ता प्रदान करने हेतु प्रत्याशित हैं। बोर्ड विद्यालय आधारित आकलन तथा सी.सी.ई. को और प्रबल बनाए जाने की आवश्यकता से अवगत है। हमने, अध्यापकों, परामर्शदाताओं, विद्यालय प्रमुखों और अभिभावकों के पक्ष को समझते हुए क्षमता निर्माण को और दृढ़ बनाने की आवश्यकता को पहचाना है। विभिन्न प्रयासों जैसे लिंग संवेदनशीलता शिक्षा, धरोहर शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा, जीवन कौशल कार्यक्रम, राष्ट्रीय विद्यालय स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा अपने-अपने संस्थानों में स्वास्थ्य एवं कल्याण क्लब की शुरुआत में विद्यालयों की भागीदारिता द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान बनाया है। नववर्ष के इस अवसर पर अब यह आवश्यक है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए विभिन्न कदमों को आगे बढ़ायें, और सभी विद्यालय तथा नए-नए संबद्धता प्राप्त विद्यालयों को भी सम्मिलित करें।

(1) विद्यालय गुणवत्ता आकलन तथा प्रमाणन

बोर्ड द्वारा संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में आन्तरिक (स्व) तथा बाह्य (सहकर्मी द्वारा) मानकीकृत तरीकों को आकलन हेतु गुणवत्ता सुधार के लिए प्रारम्भ किया गया है। प्रमाणन हेतु पैनल में शामिल एजेंसियाँ तथा के.मा.शि.बो. एक रिपोर्ट तैयार करेंगें जिसमें तीन प्रमुख कार्य क्षेत्रों का उल्लेख किया जाएगा। विद्यालयों के लिए कोई रैंकिंग नहीं होगी। जिन विद्यालयों को प्रथम स्तर पर प्रमाणन प्राप्त नहीं होगा उन्हें एक विद्यालय गुणवत्ता सुधार रिपोर्ट दी जाएगी जो यह अवसर देगी कि विद्यालय अगले छ: महीनों में अपने यहाँ सुधार लाने हेतु कार्य करें। विद्यालयों के प्रमाणीकरण का कार्य पूर्व-निर्धारित नियमों के आधार पर ही होगा। यह नियम शैक्षिक प्रक्रियाओं एवं निष्कर्षों, सह-शैक्षिक प्रक्रियाओं एवं निष्कर्षों, मानव संसाधन, आधारिक संरचना,प्रबंधन एवं प्रशासन, नेतृत्व तथा लाभार्थी की संतुष्टि से संबंधित कार्य क्षेत्रों के आधार पर पूर्व-परिभाषित किए गए हैं। विद्यालयों के लिए जून 2014 से प्रमाणन हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। प्रमाणन प्राप्त करने वाले विद्यालयों के लिए अगले पाँच वर्षों तक यह प्रमाणन स्तर बना रहेगा।

(2) प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों हेतु सशक्तीकरण कार्यक्रम

विद्यालयों को उत्कृष्टता तथा गुणवत्ता के क्षेत्र में केन्द्र बनाने की दिशा में प्रधानाचार्य तथा संस्थान प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में प्रधानाचार्य की भूमिका और विस्तृत हो गई है जिसमें पेशेवर कार्यों को करने के

साथ-साथ अन्य कई योग्यताएँ भी शामिल हैं। आज उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में एक दूर-दृर्शिता, निर्देशन एवं पाठ्यचर्या नेतृत्व, आकलन विशेषज्ञ, अनुशासक, समूह निर्माता, जनसंपर्क एवं संप्रेषण विशेषज्ञ, बजट विश्लेषक, सहायता प्रबंधक एवं प्रशासक की भूमिका निभाने के साथ-साथ विभिन्न वैधानिक, अनुबंधात्मक तथा योजना आदेशों के संरक्षक के रूप मे भी कार्य करें। बोर्ड द्वारा विद्यालयों के प्रमुखों तथा शिक्षकों के क्षमता-निर्माण में निरंतर सहयोग दिया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो कि तकनीकी के प्रयासों को केन्द्रित रखते हुए विद्यालय आधारित सुधारों का सार्थक क्रियान्वयन हो रहा है। ई-गवर्नेंस तथा क्षमता निर्माण के साथ-साथ ई-लर्निंग हेतु मंच उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को वास्तविकता के स्तर पर क्रियान्वित करने का कार्य जारी है। साथ ही बोर्ड क्षमता-निर्माण हेतु प्रत्येक तरह से ऑन लाइन तथा ऑफ लाइन दोनों तरीकों का प्रयोग करने के लिए तत्पर है।

कार्यरत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया जाएगा कि उनका सामर्थ्य विकास इस प्रकार हो जो सीसीई योजना के क्रियान्वयन, विद्यालय आधारित आकलन, कक्षा में आईसीटी को तत्परता से उपयोग करने, अधिगम की प्रक्रिया को सुगम एवं आनंद दायक बनाने, शिक्षण विधियों का प्रभावी उपयोग करने, लिंग संवेदनशीलता शिक्षण, मूल्यपरक शिक्षण, जीवन कौशल विकास, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, रचनात्मक आकलन, नेतृत्व निर्माण क्षमता, शिक्षार्थियों तथा समाज की अधिगम संबंधी आवश्यकता को समझने में समर्थता प्रदान करने वाला हो। साथ ही विकलांग बच्चों की अधिगम आवश्यकता के प्रति शिक्षकों को और संवेदनशील बनाने में सहायक सिद्ध हो।

(3) सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा रचनात्मक आकलन हेतु शिक्षक संदर्शिका

कक्षा I से V तक सीसीई आधारित शिक्षक संदर्शिकाएँ अपने अंतिम चरण में हैं तथा शीघ्र ही ये आपके लिए उपलब्ध होंगी। कक्षा VI से X तक के लिए संदर्शिकाओं को पुनरीक्षित किया जा रहा है तथा ये के.मा.शि.बो. के स्टोर के साथ-साथ नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होंगी। सभी विषयों हेतु निर्मित रचनात्मक आकलन संदर्शिकाएँ भी पुनरीक्षित की जा रही हैं। बोर्ड द्वारा शिक्षक संदर्शिकाओं के साथ ही सभी प्रमुख विषयों से संबंधित रचनात्मक आकलन संदशिकाएँ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला स्थलों पर उपलब्ध करवाई गई हैं। विद्यालयों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे पुनरीक्षित संदर्शिकाओं को देखें।

(4) सीसीई प्रतीक चिह्न, सीसीई नारा तथा सीसीई गीत का प्रयोग

सभी पणधारियों को सीसीई की भावना से प्रभावशाली रूप से अवगत कराने के लिए बोर्ड द्वारा अंगीकृत सीसीई हेतु प्रतीक चिह्न, नारा तथा गीत का प्रयोग सभी विद्यालयों द्वारा उनके दस्तावेज़ो तथा पणधारकों जैसे अभिभावकों तथा अन्य समूहों के साथ पत्र व्यवहार में किया जाएगा। इसे सीसीई शैक्षणिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

(5) जीवन कौशल संदर्शिका का प्रमोचन

शिक्षा के प्रति समग्रतापूर्ण आग्रह के लिए जीवन कौशल महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में विद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जीवन कौशल संदर्शिका की आवश्यक प्रतियाँ उनके पास उपलब्ध हैं तथा शिक्षकों द्वारा उनका पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। कक्षा IX-X के लिए जीवन कौशल संदर्शिका के साथ-साथ कक्षा VI, VII तथा VIII में शिक्षकों हेतु नवीन संदर्शिकाएँ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा के.मा.शि.बो. के स्टोर में उपलब्ध हैं।

(6) मूल्यपरक शिक्षा तथा लिंग संवेदनशीलता शिक्षण हेतु संदर्शिका प्रमोचन

के.मा.शि.बो. प्रभावशाली रूप से यह महसूस करता है कि मूल्यपरक तथा लिंग संवेदनशीलता हेतु शिक्षण को शैक्षणिक पद्धतियों का अभिन्न अंग होना चाहिए। इस संदर्भ में बोर्ड ने मूल्यपरक शिक्षा-सामग्री (Value Education Kit) जारी की है जिसमें शिक्षकों हेतु हस्तपुस्तिका, क्रियाकलापों में ग्रेड दिए जाने संबंधी कार्ड तथा एक सीडी है जिसमें एक शांति गीत रिकार्ड है। कक्षा में होने वाले कार्यों तथा विद्यालय में पाठ्येतर क्रियाकलापों एवं विद्यालय के मॉनिटरिंग तंत्र में लिंग संवेदनशीलता को प्रोत्साहन हेतु लिंग संवेदनशील मापदण्डों की एक अनुमोदित सूची प्रमाणन संदर्शिका में संयोजित की गई है।

(7) कक्षा IX तथा XI हेतु समस्या समाधान आकलन (PSA)

अंवेषण एवं विश्लेषण कौशल, अलग-अलग विषयों में मूल सिद्धान्तों के प्रयोग की क्षमता, विज्ञान तथा गणित जैसे विषयों में अनुप्रयोग आधारित समस्या का समाधान, पाठ्य सामग्री को समझना एवं विश्लेषण करना तथा प्रभावशाली सम्प्रेषण कुशलता जैसे कौशल उच्च शिक्षा तथा करियर में सफलता को सुनिश्चित करते हैं। 21 वीं सदी के लिए आवश्यक जीवन कौशलों के यह आयाम हमारे शिक्षार्थियों को उच्च वैचारिक कौशल स्तर पर सक्षम बनाने हेतु बहुत सहायक होंगे। कक्षा IX तथा XI हेतु समस्या समाधान आकलन (के.मा.शि.बो.-पीएसए) अनिवार्य है। इस आकलन के अंतर्गत बहु वैकल्पिक प्रकार के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए कुल 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। के.मा.शि.बो. CAER के साथ मिलकर पीएसए हेतु प्रश्न कोश का प्रकाशन करेगा।

(8) समावेशी कार्य प्रणाली

सन् 2009 में के.मा.शि.बो. के परिपत्र संख्या 16, 18 तथा 24 को देखते हुए बोर्ड आगे भी इस बात का दृढ़तापूर्वक आग्रह करता है कि विद्यालय अपने संस्थानों में आधारिक संरचना तथा रणनीति क्रियान्वयन के अनुसार समावेशी विद्यालयों की संकल्पना करें। एक उत्तम समावेशी कार्य प्रणाली वह होती है जो इस संकल्पना की रूपरेखा पर आधारित हो जो विभिन्न रूप से सक्षम, सुविधाहीन तथा हाशिए पर पड़े शिक्षार्थियों को उनकी श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करने में समर्थ बनाए। इस रूपरेखा के अंतर्गत समूह के प्रत्येक सदस्य को सहयोग देकर कार्य करने की आवश्यकता है। विद्यालयों को अधिक गतिशील बनने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे की निजी ज़रूरतों को संबोधित कर, परिवारों, समुदाय तथा सहयोगी एजेंसियों अथवा व्यक्तियों के साथ सहयोग कर विद्यालय उन्नत बनते हैं। इसके अतिरिक्त, किशोर बच्चे आसानी से कई प्रकार के प्रभावों में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें उचित निर्णय लेने हेतु सशक्त करने की आवश्यकता है। कोई भी विद्यालय अनुशासन लागू करने के नाम पर किसी भी शिक्षार्थी तथा अभिभावक के प्रति असंवेदनशील व्यवहार नहीं कर सकता है। विद्यालय को पुन: यह सुझाव दिया गया है कि वे बस सुरक्षा नियमों, विद्यालय के अंदर सुरक्षा नियमों जिसमें बच्चों को डराना-धमकाना तथा बाल उत्पीड़न के ऐसे मामले होते हैं जिनके विषय को संज्ञान में नहीं लिया जाता, आदि का पालन करें।

(9) ऑनलाइन सहायता व्यवस्था

के.मा.शि.बो. द्वारा एक ऑनलाइन सहायता व्यवस्था की शुरुआत की गई है जोकि निम्न लिंक http://online.cbsei.in/application/callcenter/ पर उपलब्ध है। यह सुविधा विद्यालयों तथा शिक्षार्थियों को के.मा.शि.बो. से संबंधित शिकायतों अथवा प्रश्नों को एक ऑनलाइन प्रारूप द्वारा सीधे के.मा.शि.बो. कॉल सेंटर में भेजने हेतु सहायता प्रदान करेगी।

(10) के.मा.शि.बो.-अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

के.मा.शि.बो. अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक परस्पर-पाठ्यविषयी दृष्टिकोण है जिसमें जीवन कौशलों, SEWA तथा संधान परियोजना कार्य मूल रूप से संदर्भित हैं। कक्षा I से XII हेतु यह पाठ्यक्रम विदेश में शैक्षणिक सत्र 2014-2015 से उपलब्ध होगा। कक्षा I से VI हेतु के.मा.शि.बो. अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान भारत में लगभग 80 विद्यालयों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू किया गया है।

(11) वाचन एवं श्रवण कौशल आकलन(ASL)

अंग्रेजी भाषा ने संप्रेषण माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सारी दुनिया को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है। यद्यपि, भाषागत सभी कौशलों को अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम में शामिल करने की ज़रूरत है, वाचन एवं श्रवण कौशलों हेतु बच्चों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है जिससे उन्हें बेहतर संप्रेषण कौशल प्राप्त हो। इसलिए कक्षा IX तथा XI हेतु अंग्रेजी विषय में वाचन तथा श्रवण कौशल के लिए औपचारिक परीक्षण तय किया गया है। इसके लिए संकलित परीक्षा I तथा II के लिए कुल भारांक के 20 प्रतिशत भारांक का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित सामग्री बोर्ड की शैक्षणिक वेबसाइट www.cbseacademic.in पर 'ASL Gateway' नामक टैब पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।

(12) यू-ट्यूब पर के.मा.शि.बो. चैनल

बोर्ड तथा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों को प्रदर्शित करता के.मा.शि.बो. चैनल यू-ट्यूब पर www.youtube.com/cbsechannel के नाम से विद्यमान है। सभी विद्यालय इस चैनल पर अपनी मौलिक वीडियों कृतियाँ जैसे शॉर्ट फिल्म, अभिनीत नाटक, चर्चा, वाद-विवाद, बहस, विभिन्न प्रस्तुतियाँ तथा के.मा.शि.बो. चैनल पर अपलोड की गई विषय वस्तु जैसे स्वास्थ्य एवं कल्याण, लिंग संवेदनशीलता, समुदाय तक पहुँच, जीवन कौशल, मूल्यपरक शिक्षा, धरोहर, आपदा प्रबंध, सामाजिक विषयों,पर्यावरणीय विषयों तथा शिक्षण-अधिगम की नवीनतम कार्य पद्धतियों से संबंधित क्रियाकलापों के वीडियो भेजने हेतु आमंत्रित हैं। उस संदर्भ में आप कृपया के.मा.शि.बो. शैक्षणिक की वेबसाइट (www.cbseacademic.in) पर उपलब्ध अधिसूचना को देखें।

(13) नवीन ऐच्छिक विषय

बोर्ड द्वारा नए ऐच्छिक विषयों, जैसे, विधि अध्ययन, रंगमंच अध्ययन, मानवाधिकार तथा जेंडर अध्ययन, एनसीसी तथा पुस्तकालय विज्ञान को सन् 2013 से प्रकाश में लाते हुए कक्षा XI में सत्र 2014-15 से तथा कक्षा XII में प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ किया गया है। विद्यालय उपरोक्त में से किसी भी विषय को कक्षा XI हेतु सत्र 2014-15 में प्रस्तावित कर सकते हैं।

बोर्ड को इस वर्ष भी बहुत बड़ी संख्या में रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई है। यह प्रतिपुष्टियाँ बोर्ड के सभी पणधारियों जिनमें शैक्षिक नेतृत्वकर्ता, अध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षार्थियों द्वारा 'अध्यक्ष से बातचीत' (interact with the Chairman) लिंक पर के.मा.शि.बो. की शैक्षणिक वेबसाइट पर मिली हैं। वेबसाइट पर 'FAQ' से संबंधित अनुभाग भी अब क्रियाशील है। सभी शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे इस अनुभाग पर जाएँ क्योंकि यह एक बहुत तेज़ी से विकसित होने वाला दस्तावेज़ है। मेरी अपने सभी पणधारियों से यह दृढ़ अपील है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारियों को समय-समय पर प्राप्त करते रहें जिससे वे स्वंय को विभिन्न शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों में होने वाले बदलावों के प्रति सजग बनाए रख सकें। हमारा और आपका यह साथ-साथ तय किया गया सफ़र स्फूर्तियदायक रहा है किंतु अभी हमें मीलों आगे जाना है ताकि हम भावी पीढ़ी को सुदृढ़ अधिगम की नींव उपलब्ध करवाने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। हम साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए सृजनात्मक, समरसतापूर्ण तथा मानवीय अधिगम हेतु पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं। इस महान कार्य की सफलता हेतु हमारे प्रधानाचार्यों, अध्यापकों, शिक्षार्थियों तथा अभिभावकों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।

(14) व्यावसायिक पाठ्यक्रम

प्रशिक्षित पेशेवरों की भारी कमी तथा शिक्षार्थियों के लिए रोज़गार परक कौशलों के विकास को ध्यान में रखते हुए के.मा.शि.बो. ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर समर्थता विकास आधारित कई पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए हैं। ज्ञान के नवीन क्षेत्रों के अंवेषण का अनुसरण करते हुए बोर्ड ने नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। के.मा.शि.बो. से संम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने में बड़ी भूमिका निभाई गई है। इसके लिए कक्षा नवीं से प्रारम्भ करते हुए कई विषयों जैसे रिटेल, ऑटोमोबाइल, आईटीईएस (ITES) तथा सुरक्षा प्रारम्भ किए गए हैं।

(15) आकलन, मूल्यांकन तथा अनुसंधान केन्द्र (CAER)

आकलन, मूल्यांकन तथा अनुसंधान केन्द्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन से के.मा.शि.बो. तथा पियरसन फाउंडेशन, यूएसए, के मध्य साझेदारी से बना एक पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप केन्द्र है। CAER का कार्य विद्यालय आधारित आकलन में उत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली को निम्नलिखित के विषय में सूचित करना है:-

- अनुसंधान
- सतत पेशेवर विकास
- मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन
- प्रकाशन

सन् 2013 के दौरान, CAER ने गतिशील रूप से आधुनिक आकलन सिद्धान्तों तथा कार्य प्रणाली से संबंधित मूल ज्ञान को सतत पेशेवर विकास के माध्यम से (भाग 1 और 2) 1900 से अधिक शिक्षकों तक प्रचारित किया है। CAER अपने बुलेटिन प्रकाशन, विनिबंध आकलन, केस अध्ययन विनिबंध तथा सूचना पत्र के द्वारा देश में क्रियात्मक रूप से आकलन हेतु एक संस्कृति का निर्माण कर रहा है। आकलन के क्षेत्र में अनुसंधान CAER का मूल कार्य क्षेत्र है। इसने बड़े पैमाने पर देश में आकलन से संबधित अनुसंधान कार्य द्वारा तीव्र प्रगति की है। अपने अनुसंधान से प्राप्त जानकारियों को यह अनूठे रूप से आकलन की व्यवस्था पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव के लिए प्रयोग कर रहा है। के.मा.शि.बो. द्वारा 2014 में पैनल में सम्मिलित प्रशिक्षण एजेंसियों को संबद्धता प्रदान करने का कार्य CAER को दिया गया है।

CAER की वेबसाइट www.indiacare.org पर जाएँ।

वर्ष 2014 के लिए आप सभी को मेरी शुभ कामनाएँ। हमने अपने पूर्व अनुभवों से सीखा है और अब हम आने वाले समय के लिए और अधिक समझ, समर्पण तथा बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

भवदीय

(विनीत जोशी)
अध्यक्ष

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टिटूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10. सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारीयों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
11. सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
12. सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
13. के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
14. सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
15. सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
16. उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
17. असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
18. जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
19. हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
21. सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
22. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
23. निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव

24. प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
25. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
26. निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

अध्यक्ष